



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092026-276337
CG-DL-E-21092026-276337

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4884]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2026/भाद्र 24, 1948

No. 4884]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2026/BHADRA 24, 1948

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 10 सितम्बर, 2026

का.आ. 5075(अ).— केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथासंशोधित, 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में 'ग' क्षेत्र में स्थित (1) केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी, (2) केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, कर्णाटक, (3) केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, प्रभाग VIII, जम्मू (4) केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, प्रभाग-X, भुवनेश्वर और (5) केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, राज्य एकक कार्यालय, शिलांग कार्यालयों, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारियों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद द्वारा अधिसूचित करती है:-

(1) केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी,

(2) केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, कर्णाटक,

- (3) केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, प्रभाग VIII, जम्मू
- (4) केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, प्रभाग-X, भुवनेश्वर और
- (5) केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, राज्य एकक कार्यालय, शिलांग

[फा.सं. ई-11011/1/2026-हिंदी]

डॉ. बिजय कुमार बेहेरा, आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी

JAL SHAKTI MINISTRY

(Department Of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2026

S.O. 5075(E).— In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rule. 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies the 1) CENTRAL GROUND WATER BOARD, NORTH EASTERN REGION, GUWAHATI, (2) CENTRAL GROUND WATER BOARD, SOUTH WESTERN REGION, KARNATAKA, (3) CENTRAL GROUND WATER BOARD, DIVISION VIII, JAMMU, (4) CENTRAL GROUND WATER BOARD, DIVISION-X, BHUBANESWAR, AND (5) CENTRAL GROUND WATER BOARD, STATE UNIT OFFICE, SHILLONG, wherein more than 80% staff have acquired the working knowledge of Hindi.

- (1) CENTRAL GROUND WATER BOARD, NORTH EASTERN REGION, GUWAHATI,
- (2) CENTRAL GROUND WATER BOARD, SOUTH WESTERN REGION, KARNATAKA,
- (3) CENTRAL GROUND WATER BOARD, DIVISION VIII, JAMMU
- (4) CENTRAL GROUND WATER BOARD, DIVISION-X, BHUBANESWAR AND
- (5) CENTRAL GROUND WATER BOARD, STATE UNIT OFFICE, SHILLONG

[F. No. E.11011/1/2026 - Hindi]

DR. BIJAYA KUMAR BEHERA, Economic Adviser And Official Language Incharge